न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
लक्ष्मीबाई बनाम सरकार
GCMS No- 2022/556
प्रकरण संख्या – 181/2023 प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 181/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2023/556

लक्ष्मीबाई पत्नी रूपा जाति मीणा आयु वयस्क निवासी करथाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 जरिये पुत्र गोवर्धनलाल पिता रूपाजी मीणा।

– प्रार्थीया

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :–14.09.2023

1. प्रार्थी लक्ष्मीबाई पत्नी रूपा जाति मीणा निवासी करथाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 जरिये पुत्र गोरधनलाल पिता रूपाजी मीणा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी की माता लक्ष्मीबाई द्वारा श्री मुकेश पिता खेमा भील, कालु पिता नाथु भील, सोहनी पुत्री नाथु भील, श्री मोहन पिता भंवरलाल भील, श्रीमती घीसीबाई पुत्री भंवरलाल भील, राजु पिता भगवानलाल भील निवासीयान करथाना तहसल निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गड़ से ग्राम करथाना पटवार हल्का बड़ौलीघाटा की आराजी नम्बर 19, 66, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 291 कुल किता–9 कुल रकबा 5.0200 हैक्टेयर आराजियात में से 0.3900 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 13.06.2019 को क्रय कर कब्जा खास मौके पर प्राप्त किया। उक्त आराजियात का इन्तकाल खुलवते समय मेरी माता लक्ष्मीबाई की जाति मीणा की जगह भील सहवन से राजस्व रेकार्ड की नकल जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दी गई है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। इलिए राजस्व रेकार्ड में की नकल जमाबन्दी में मेरी माता लक्ष्मीबाई बाई की जाति भील की जगह मीणा दर्ज किया जावें।

2. प्रकरण उप पंजीयक निम्बाहेड़ा को मूल ही जांच हेतु भेजा गया। उप पंजियक निम्बाहेड़ा मूल ही प्रकरण मय तथ्यात्मि रिपोर्ट के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के साथ ग्राम करथना पटवार हल्का बड़ौलीघाटा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 94, 95 की फोटोप्रतियां, प्रार्थी लक्ष्मीबाई का आधार कार्ड, [illegible] पत्र दिनांक 27.07.2018, शुद्धि पत्र दिनांक 14.08.20[illegible], विक्रय पत्र दिनांक 1[illegible]2019 की छायाप्रतियां एवं ग्राम पंचायत बड़ौली घाटा का प्रमाण पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
लक्ष्मीबाई बनाम सरकार
GCMS No- 2022/556
प्रकरण संख्या – 181/2023 प्रार्थना पत्र

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उप पंजीयक निम्बाहेड़ा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, उप पंजीयक निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीय द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2019 में क्रेता के रूप में प्रार्थीया की जाति भील दर्ज होने से उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरण के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रार्थीया की जाति भील दर्ज हो गई जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों जैसे प्रार्थीया का आधार कार्ड, विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2018, शुद्धि पत्र दिनांक 14.08.2018, ग्राम करथना पटवार हल्का बड़ौलीघाटा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 94, 95 की आराजियात के अन्य हक हिस्से में प्रार्थीया की जाति मीणा दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2018, शुद्धि पत्र दिनांक 14.08.2018, विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2019 की छायाप्रतियां तीनों में प्रार्थीया एक ही आधार नम्बर 7344 9500 2979 दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत बड़ौलीघाटा का प्रमाण–पत्र में भी प्रार्थीया की सही जाति मीणा बताई है। प्रकरण में उप पंजियक, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीया द्वारा अपनी जाति भील के बजाय मीणा अंकित करवाना चाहती है चूंकि उक्त दोनों ही जातियां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने से दस्तावेज में हुई लिपीकिय त्रुटि ठीक किया जाना संभव है जिसके लिए राजस्थान स्टापम्प अधिनियम 1998 की धारा –3 की अनुसूची के अनुच्छेद 24 में संशोधित लेख्य पत्र (supplementary instrument) निष्पादन का प्रावधान किया हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एंव उप पंजियक, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की रिपोर्ट के आधाार पर ग्राम करथना पटवार हल्का बड़ौलीघाटा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता 94 एवं 95 की आराजियात में प्रार्थी लक्ष्मीबाई पत्नी रूपा की जाति भील के बजाय मीणा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा करथना पटवार हल्का बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 94 की आराजी नम्बर 19, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 291 कुल किता–8 कुल रकबा 4.2100 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 32 पर दर्ज खातेदार प्रार्थीया लक्ष्मीबाई पत्नी रूपा हिस्सा 377711/2536104 में एवं खाता संख्या 95 की आराजी नम्बर 66 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 27 पर दर्ज खातेदार प्रार्थीया लक्ष्मीबाई पत्नी रूपा हिस्सा 386/2259 में खातेदार प्रार्थीया लक्ष्मीबाई पत्नी रूपा सा0 देह की जाति भील के बजाय मीणा दर्ज करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

14/9/23
रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा